



2026:AHC.9140

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19766 वर्ष 2025

श्रीमती कल्पना गुप्ता

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: नीरज

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज और राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. जो भी रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था, परंतु उसे उसका द्वितीय एसीपी प्रदान नहीं किया गया है।
3. वर्तमान रिट याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थियों को रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय सर्वप्रथम प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा किया जाना है।
5. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे; जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 3, आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवधि के भीतर, विधि के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेगा।

जनवरी 14, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.